

कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता) बीकानेर

क्रमांक:- सीबी/सहायता/अग्नि/2020-21/ 570

दिनांक:- 2-3-2021

प्रशासनिक स्वीकृति

भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन संभाग के आदेश क्रमांक 32-7/2014 एनडीएम-1 दिनांक 08.04.2015 के बिन्दु संख्या 6(1), 9डी एवं 1डी में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार (भू.अ.) नोखा द्वारा की गई अनुशंभा के आधार पर आगजनी से हुई क्षति हेतु निम्नांकित पीडित परिवार को एसडीआरएफ/एनडीआरएफ नियमों के तहत उनके नाम के सामने अंकित अनुसार सहायता भुगतान हेतु कुल राशि रुपये 57800/- (अखरे सतावन हजार आठ सौ मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति एतद्वारा जारी की जाती है -

क. सं.	प्रार्थी का नाम मय पिता का नाम	आवेदन प्राप्ति दिनांक	दुर्घटना दिनांक	अनुमानित नुकसान	क्षति का प्रकार	पशु हानि सहायता	आवास सहायता	कपड़े बर्तन हेतु सहायता	योग
1	श्रीमती कमला / जगदीश जाट, नि. जसरासर, तह. नोखा	2329 / 27.07.2020 एवं पुनः प्राप्ति दिनांक 01.03.2021	09.07.2020	680000	आगजनी घटना से झोपड़ा कपड़े-बर्तन नष्ट एवं 1 बैस की मृत्यु	30000	4100	3800	37900
2	श्री हरीराम / चोखाराम जाट, नि. सिंजगुरु, तह. नोखा	2220 / 02.07.2020 एवं पुनः प्राप्ति दिनांक 01.03.2021	15.06.2020	105000	आगजनी घटना से झोपड़ा कपड़े-बर्तन नष्ट एवं 1 गाय की मृत्यु	12000 Actual Loss as per PMR	4100	3800	19900
योग						42000	8200	7600	57800

(अखरे रु. सतावन हजार आठ सौ मात्र)

सहायता राशि भुगतान हेतु निम्नांकित बजट मद से बजट मांग की जावे :-

लेखा शीर्षक :-

- 2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत
 - 01 सूखा
 - 800 अन्य व्यय
 - (03) राहत कार्यों का व्यय
 - (02) अग्नि सहायता
 - [12] सहायतार्थ अनुदान

(नमित मेहता IAS)
जिला कलक्टर, बीकानेर
दिनांक:-

क्रमांक:- सीबी/सहायता/अग्नि/2020-21/

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन सचिव, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर।
3. वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. उपखण्ड अधिकारी, नोखा
5. तहसीलदार (भू अभिलेख), नोखा
6. रक्षित पत्रावली कार्यालय हाजा।

11
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन),
एवं प्रभारी अधिकारी (सहायता),
बीकानेर